

अदालत में प्रस्तुत की गई
प्रतीति के अभाव में भी तब तक
नलवाने सिविल प्रोसेस/ फावली
दिनांक 3/4/18 को प्रत्येकी तब तक
अपना उद्देश्य की अवधि बंद रखा
है

34/18

फावली पेश हुई, वकील बासी/प्रतिवादी
उत्पत्तित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य
में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं
हो सकी। फावली पूर्ववत दिनांक—
28/5/18 को
पेश हो 2

11/6/18

फावली लोक अदालत केम्प सारोला में पेश
हुई। प्रतिपक्षी नं. 1 उपस्थित। मजमे माम में
प्रतिपक्षी नं. 1 को सुना गया। प्रति. नं. 1 ने
विवादित आराजी के मौके की मथास्थिती
बनाये रखने की सहमति प्रकट की तथा
आदेश/आ पर सहमति हस्ताक्षर किये।
अतः प्रतिपक्षी नं. 1 की सहमति के आधार पर
विवादित आराजी ख. नं. 231, 232, 233, 234,
235, 27। कुल रकम 6 रुका 2.62 रु.
भूमि काटे ग्राम शबर तहसील दीणोद के
मौके की मथास्थिती मूलवाद के निस्तारण
पर्यन्त बनाये रखे, इस आशय की अध्यापी

अध्यापी/माप


तारीख
5

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो किस हुकम की
तामील में जारी हुए

निवेधाना जारी की गयी है। आदेश
मजमे काम में सुनाया गया। पत्रावली
कुमल कुमार टोकर मूलवाद के साथ
संलग्न रहे।

~~11/6/18~~


(ला. अ. वि. उडुपी)